

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/2023

श्रीमती स्वाति साहू पत्नी श्री राजेश साहू
वार्ड नं. 61, शिवलोक ग्रीन फेस 6 के पास,
खजूरी कलां भोपाल (म.प्र.) ।

आवेदक

उप महाप्रबंधक
—
शहर संभाग (पश्चिम)
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
विद्या नगर, होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.) –462026

अनावेदक

विरुद्ध

—

आदेश

(दिनांक 17.02.2023 को पारित)

01 आवेदक श्रीमती स्वाति साहू पत्नी श्री राजेश साहू नि. वार्ड नं. 61, शिवलोक ग्रीन फेस 6 के पास खजूरी कलां भोपाल ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 18.1.2023 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल/ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी. 14/2022 में आदेश दिनांक 30.12.2022 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 18.1.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल 00–02/2023 पर दर्ज की गई है ।

02 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

मैं श्रीमती स्वाति साहू पत्नी राजेश साहू नि. शिवलोक ग्रीन फेस 6 के पास खजूरी कलां भोपाल में निवासरत हूँ द्वारा कार्यालय प्रबंधक वल्लभ नगर जोन शहर संभाग पश्चिम म.प्र.क्षे.वि.कं.लि. भोपाल में स्थाई कनेक्शन हेतु आवेदन किया था । मेरे आवेदन क्र. 110104220200895 दिनांक 09.5.2022 को गैर घरेलू कनेक्शन हेतु किया गया है । मेरे परिसर के आस-पास कुछ क्षेत्र कृषि एवं आवासीय कालोनियों से लगा हुआ है । मेरा परिसर व्यक्तिगत रूप से भूमि परिवर्तन किया गया है जिसमें मेरा आवासीय परिसर में स्वयं का मकान बनाया गया है मेरा बाकि अविकसित क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है ।

- वर्तमान मेरे घर पर एक अस्थाई कनेक्शन लगा हुआ है जिस पर मेरा समस्त विद्युत भार चल रहा है । मेरे घर से 200 फीट की दूरी पर 25 के0 व्ही का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है । मेरे घर से 10 फीट की दूरी पर एल.टी. लाईन स्थित है यह लाईन 25 के0व्ही0 ट्रांसफॉर्मर 11 के0व्ही0 शहरी फीडर नागर्जुन नगर खजुरी कला से जुड़ा है और इसी 11 के0व्ही0 फीडर पर शिवलोक ग्रीन सहित अन्य आवासीय कालोनियों एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन है ।
 - इस 11 के0 व्ही0 फीडर पर कृषि उपभोक्ता बहुत कम है आपके पत्र में जिस 25 के0व्ही0 ट्रांसफॉर्मर पर कितना भार स्थीकृत है अतिभारित होने की स्थिति में सप्लाई अफोडिंग करने को तैयार अध्याय 4 नियम 4.2.6 के अनुसार में चार्ज जमा करने को तैयार हूँ ।
 - आस—पास के क्षेत्र की जमीन पर विकास कार्य हो रहा है मेरा परिसर से कोई संबंध नहीं है और न ही कोई ऐसा नियम है कि आस—पास भूमि अविकसित है तो मुझे कनेक्शन नहीं दिया जाये । यह व्यक्तिगत एवं अति—आवश्यक सेवा अधिनियम के विरुद्ध है । मेरे द्वारा भवन निर्माण की समस्त प्रकार की अनुमतियां म0प्र0 शासन से नियमानुसार ली गई है ।
 - म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय—4 कण्डिका 4.38 कॉलोनी के लिए है यह व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए नहीं है मेरा परिसर व्यक्तिगत है । जो म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय— 4 कण्डिका 4.1.1 एवं 4.2.1 की श्रेणी में आता है । मेरा परिसर म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता के अंतर्गत आता है मेरा परिसर किसी भी बैध / अवैध कालोनी में नहीं आता है ।
 - घरेलू कनेक्शन अति — आवश्यक सेवाओं के दायरे में आता है । जबकि मेरा परिसर अध्याय 4 कण्डिका 4.1 के अंतर्गत आता है । मध्यप्रदेश राजपत्र (विद्युत नियामक आयोग) 31 मई 2022, का अध्याय— चार की कण्डिका 4.1 केवल ऐसे वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ताओं के अंतर्गत ही आता है मेरा परिसर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अनुमोदित अभिन्याय (ले—आउट) के अनुसार भवन निर्माण किया गया । मेरे द्वारा कनेक्शन आवेदन विद्युत अधिनियम अध्याय 4 कण्डिका 4.2.1 के अधीन किया गया है ।
 - मेरे द्वारा घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन 1078/22 दिनांक 08.06.2022 किया था क्यों कि प्रार्थीया अपने परिवार सहित उक्त परिसर में निवासरत है लेकिन मेरे आवेदन पत्र गैर घरेलू कनेक्शन के अंतर्गत आता है यह कहते हुए निरस्त कर दिया । आवेदिका ने पुनः गैर घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र 110104220200895 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा स्थाई कनेक्शन मांग गया परन्तु मुझे कनेक्शन नहीं दिया गया ।
मेरे द्वारा घरेलू कनेक्शन स्वयं के उपयोग लिए जबकि गैर घरेलू कनेक्शन प्ले स्कूल के लिए मांगा गया था । किसी भी तरह का कनेक्शन आवेदिका को नहीं दिया जा रहा है ।
कृपया स्थाई घरेलू / गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ।
- 03.** प्रकरण को क्रमांक एल 00—02/2023 पर दर्ज करने के बाद उभय पक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 8.2.2023 नियत की गई ।

- ❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 8.2.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के पति (अधिकृत सलाहकार) श्री राजेश साहू उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री मकसूद बैग, मैनेजर उपस्थित। आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसकी एक प्रति अनावेदक को दी गई।

आवेदक के मौखिक कथन :—

1. आवेदक ने निवेदन किया है कि मुझे मेरे मकान पर घरेलू उपयोग हेतु कनेक्शन की आवश्यकता है। मैंने मकान से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, फिर भी मुझे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

अनावेदक के मौखिक कथन :—

1. अनावेदक ने इस संबंध में कहा कि आवेदक का मकान अविकसित एवं अविद्युतीकृत भूमि पर बनाया गया है जहां पर नियमानुसार विद्युतीकरण होने के उपरान्त ही कनेक्शन दिया जा सकता है।
2. आवेदक के मकान के पास से जो लाईन जा रही है वह कृषि पंप कनेक्शन हेतु लाईन है।

सुनवाई के दौरान अनावेदक ने आवेदक की अपील पर बिन्दुवार लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 14.02.2023 नियत की गई।

- ❖ सुनवाई दिनांक 14.2.2023 को प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री राजेश साहू खजूरी कलां, भोपाल उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री मकसूद बैग, प्रबंधक उपस्थित।

अनावेदक ने आवेदक की अपील पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति आवेदक को भी दी गई एवं रिकार्ड पर लिया गया। प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि संदर्भित प्रकरण बावत् निम्नानुसार अवगत कराया जाता है कि,

1. आवेदक द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत वार्ड नं. 61, खजूरी कलां में मुख्य मार्ग से अंदर, एक अविकसित, आवासीय भू-खण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 10,000 /वर्गफीट में से 4000 वर्गफीट जो खसरा नं. 463/1, 464/1/1/6/6 (कम्प्यूटर खसरा नं. 463/1/1/12, 464/1) का अंश भाग है, क्रय किया गया। (जैसा रजिस्ट्री में पेज नं. 07 पर स्पष्ट उल्लेख है)
2. आवेदक द्वारा उपरोक्त क्रय किये गये अविकसित भू-खण्ड की भूमि पर भवन विकास हेतु कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल- सीहोर- रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा आदेश क्र. बी.पी.एल. पी. 6746 /एल. पी. 101/29(1) नग्रानि/ जिका 2020 भोपाल दिनांक 12.1.2021, के माध्यम से अनुमति प्राप्त की है।

3. आवेदक के परिसर के सामने से 11 के.व्ही उच्चदाब नागार्जुन फीडर की विद्युत लाईन गुजर रही है, शिवलोक फेस-06 कॉलोनी में जा रही है। इस फीडर लाईन पर आवेदक के परिसर से लगभग 200 फीट दूरी पर 25 के.व्ही.ए वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं उसकी एल.टी. लाईन विद्यमान है, जो पूर्णतः कृषि लाईन है एवं इस पर पूर्व से कृषि कनेक्शन विद्यमान है।
4. आवेदक का उपरोक्त वर्णित अविकसित भू-खण्ड (जिस पर वर्तमान में भवन निर्माण किया गया है) अविद्युतीकृत क्षेत्र में स्थित है, जिसके विद्युतीकरण हेतु आवेदक को मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अध्याय 04 की कंडिका क्रमांक 4.38 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधोसंरचना की स्थापना करनी होगी, जिसके लिये आवेदक को वर्तमान प्रचलित योजनाओं (यथा— सुपरविजन योजना, शत— प्रतिशत योजना) का चयन कर विद्युतीकरण का कार्य कराना होगा, जिसमें 01 नं. 25 के.व्ही. ए ऑनलाईन वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं एल.टी. लाईन का विस्तार होगा, जिसकी अनुमानित व्यय राशि लगभग 2,80,000/- रु. (दोलाख अस्सी हजार रुपये) होगी। यदि आवेदक उक्त विस्तार कार्य करवाने की सहमति देता है, तो प्रकल्प बनाकर स्वीकृत किया जा सकता है, एवं वर्तमान प्रभावी नवीन कनेक्शन चार्जेस का भुगतान करने पर उस वितरण ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से आवेदक को स्थायी घरेलू एवं गैर- घरेलू प्रायोजन हेतु कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं।

सुनवाई दिनांक 14.2.2023 को आवेदक एवं अनावेदक द्वारा निम्नानुसार कथन किये :—

अनावेदक का कथन :-

- (1) आवेदक का परिसर अविकसित आवासीय भूखण्ड है जो कि अविद्युतीकृत है।
- (2) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उसने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भवन का विकास करने हेतु अनुमति प्राप्त की है।
- (3) आवेदक के परिसर के पास विद्यमान ट्रांसफारमर कृषि पंपों हेतु है। जिससे उसे कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।
- (4) आवेदक को कनेक्शन नियमानुसार अधोसंरचना का विस्तार जिसमें 25 KVA का ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं उससे संबद्ध कार्य करवाने पर दिया जा सकता है।

आवेदक का कथन :-

- (1) आवेदक ने कहा कि मुझे विद्यमान कृषि पंप की लाइन से कनेक्शन दिया जावे। जिस पर अनावेदक ने कहा कि नियमानुसार अविद्युतीकृत एवं अविकसित परिसर में कृषि पंप की लाइन से कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।
- (2) आवेदक ने कहा कि मैं अकेला ट्रांसफारमर स्थापित करने का खर्च नहीं वहन कर सकता, इस पर उन्हें आस—पास के अन्य परिसरों को सम्मिलित कर अधोसंरचना विस्तार का कार्य करवाने की सलाह दी गई जिससे वह सहमत थे।

उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत की जानी है । अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों / साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण निविवादित तथ्य नियमानुसार है:-

- (1) प्रस्तुत रजिस्ट्री के अनुसार अपीलार्थी ने एक अविकसित भूखण्ड 4000 वर्गफीट वार्ड नं. 01 खजूरी कलां मुख्य मार्ग से अन्दर की तरफ खरीदा है ।
- (2) प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से उक्त अविकसित आवासीय भूखण्ड का विकास कर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की है ।
- (3) अपीलार्थी ने भूखण्ड के विकास/ विद्युतीकरण करवाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है ।
- (4) अपीलार्थी ने अपने भूखण्ड पर निर्मित भवन हेतु घरेलू एवं गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन की मांग की है ।
- (5) अनावेदक ने सूचित किया था कि विद्युतीकरण करवाने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जा सकता है क्योंकि भवन अविकसित एवं अविद्युतीकृत क्षेत्र में है ।
- (6) अपीलार्थी ने इसके उपरांत भी कृषि पंप के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देने की मांग की है ।
- (7) अनावेदक ने सूचित किया था कि कृषि पंप के ट्रांसफार्मर से घरेलू (आवासीय क्षेत्र) में कनेक्शन नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है ।
- (8) विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में प्रावधान अनुसार अविकसित अविद्युतीकृत क्षेत्रों में अधोसंरचना का विस्तार करने पर ही कनेक्शन दिया जा सकता है ।
- (9) आवेदक का यह कहना सही है कि उसका परिसर किसी भी वैध / अवैध कालोनी में नहीं आता है । किन्तु उक्त परिसर अविकसित एवं अविद्युतीकृत क्षेत्र में आता है ।

05 उभय पक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/ साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/ विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :-

- (1) अपीलार्थी का आवास/ व्यावसायिक परिसर अविकसित/ अविद्युतीकृत क्षेत्र में निर्मित है एवं वह कृषि भूमि का भाग है जिसका उपयोग परिवर्तन करवाया है ।
- (2) अपीलार्थी ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से विकास की अनुमति प्राप्त कर नक्शा पास करवाया है, किन्तु विकास के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य नहीं करवाया है ।
- (3) अपीलार्थी को विद्युत कनेक्शन नियमानुसार विद्युतीकरण (अधोसंरचना का विस्तार) करवाने पर दिया जा सकता है ।

(4) अपीलार्थी स्वयं यदि अधोसंरचना का व्यय वहन नहीं कर सकता तो वह अधोसंरचना का विस्तार करने हेतु आस-पास के अन्य रहवासियों को भी सम्मिलित कर संयुक्त आवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है ।

06 प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :—

- (1) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है ।
- (2) अपीलार्थी का परिसर अविकसित तथा अविद्युतीकृत है । अतः कनेक्शन की मांग के साथ ही अधोसंरचना के विस्तार हेतु अनावेदक को आवेदन प्रस्तुत करें ।
- (3) अनावेदक आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल प्राक्कलन पूर्ण जमा योजना या सुपरविजन योजना में ठेकेदार के माध्यम से, स्वीकृत कर आवेदक को सूचित करते हुए मांग पत्र दें ।
- (4) नियमानुसार अधोसंरचना कार्य पूर्ण होने पर कनेक्शन प्रदाय किया जावे ।

07 उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08 आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्ष पृथक रूप से सूचित हो आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल